उत्तर प्रदेश शासन
लोक निर्माण अनुभाग-6
संख्या-43/2026/I/1234044/2026/23-6099/42/2026
लखनऊ : दिनांक 10 **फरवरी**, 2026

शुद्धि-पत्र

वित्तीय वर्ष 2025-26 में राज्य योजनान्तर्गत लघु सेतु परियोजनाओं के नाम संशोधित करने के सम्बन्ध में मुख्य अभियन्ता (सेतु), लोक निर्माण विभाग, लखनऊ के पत्रांक-I/386255/2025, दिनांक 18.12.2025, पत्रांक-I/423511/2026, दिनांक 19.01.2026 एवं पत्रांक-I/418893/2026, दिनांक 14.01.2026 द्वारा अंकित तालिका के कॉलम-2 में अंकित शासनादेशों द्वारा कुल 03 लघु सेतुओं के स्पान एवं जनपद के नाम में भिन्नता होने के दृष्टिगत संशोधन करने के किये गये अनुरोध के क्रम में उक्त कार्यों के स्पान/जनपद के नाम में संशोधन किये जाने का निर्णय लिया गया है, जिसका विवरण तालिका में निम्नवत अंकित है :-

क्र0 सं0	मूल स्वीकृति शासनादेश संख्या एवं दिनांक	शासनादेश में अंकित कार्य का नाम	संशोधित कार्य का नाम
1	2	3	4
1	322/2025/I/1133489/ 2025/ 23-6099 /189/ 2025, date 05-11-2025 (क्रम सं0-21)	जनपद मुजफ्फरनगर जसौला से कैलावडा मार्ग के किमी0-1 में क्षतिग्रस्त पुलिया के स्थान पर 3x5 मी0 स्पॉन की बाक्स कल्वर्ट पुलिया का निर्माण कार्य।	जनपद मुजफ्फरनगर जसौला से कैलावडा मार्ग के किमी0-1 में क्षतिग्रस्त पुलिया के स्थान पर 3x6 मी0 स्पॉन की बाक्स कल्वर्ट पुलिया का निर्माण कार्य।
2	391/2025/I/1184713/ 2025/23- 6099/ 179/ 2025, Dt.23.12.25 (क्रम सं0-25)	जनपद ललितपुर हंसार कैलगुवा मार्ग के किमी0-33 (चै0 32.400) में 6x6x5 मी0 लघु सेतु (बॉक्स सेल) का निर्माण कार्य।	जनपद ललितपुर हंसार कैलगुवा मार्ग के किमी0-33 (चै0 32.400) में 6x5x5 मी0 लघु सेतु (बॉक्स सेल) का निर्माण कार्य।
3	391/2025/I/ 1184713/ 2025/23- 6099/ 179/ 2025, Dt. 23.12.25 (क्रम सं0-27)	जनपद का नाम - सीतापुर	जनपद का नाम - उन्नाव

3- अत: उपर्युक्त तालिका के कॉलम-3 में अंकित परियोजना नाम के स्थान पर कॉलम-4 में अंकित परियोजना नाम पढ़ा जाय।

2- अतएव कॉलम-2 में अंकित शासनादेशों को उक्त सीमा तक संशोधित समझा जाय।

(सुभाष राम)
उप सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित –

(1) महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 प्रयागराज ।
(2) महालेखाकार (लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 प्रयागराज ।
(3) संबंधित मण्डलायुक्त/संबंधित जिलाधिकारी ।
(4) संबंधित मुख्य अभियंता, लोक निर्माण विभाग ।
(5) मुख्य अभियंता (सेतु), लोक निर्माण विभाग, लखनऊ ।
(6) प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राज्य सेतु निगम लि0, लखनऊ।
(7) संबंधित कोषाधिकारी।

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

(8) वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-8।
(9) राज्य योजना आयोग अनुभाग-1/2 ।
(10) नोडल अधिकारी(आनलाईन बजट एलॉटमेन्ट सिस्टम),लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0शासन।
(11) गार्ड फाइल।

(सुभाष राम)
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।